बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

विज्ञापन
बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत सहायकों का संविदा के आधार पर नियोजन।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अधीन सहायक के 10 (दस) रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या– 10000 दिनांक 10.04.2015 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत सहायकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार रिक्ति निम्नवत है :–

अनारक्षित	– 3 पद
अनारक्षित (महिला)	– 2 पद
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	– 1 पद
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	– 1 पद
अनुसूचित जाति	– 1 पद
अनुसूचित जाति (महिला)	– 1 पद
पिछड़ा वर्ग	– 1 पद
कुल	**– 10 पद**

नियोजन की शर्तें:–

1. संविदा के आधार पर चयन हेतु सेवानिवृत कर्मी की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। संविदा के आधार पर चयन प्रथमतः दो वर्षो अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनकी कार्यो की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा।
2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी तथा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।
3. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवक का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही देय होगा। मासिक मानदेय की यह राशि सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगा।
4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएँगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
5. यह नियोजन पूर्ण रूप से औपबंधिक होगा एवं संविदा अवधि समाप्ति से पूर्व उभय पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर उसे समाप्त किया जा सकेगा।
6. उक्त पद पर सहायकों की नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के उपरांत उनका पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. सेवानिवृत कर्मी के द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ देना होगा।
8. इच्छुक सेवानिवृत कर्मी इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करेंगे कि उनके विरूद्व कोई आरोप/विभागीय कार्यवाही/निगरानी मामला/आपराधिक मामला नहीं चल रहा है।
9. इच्छुक सेवानिवृत कर्मी अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर समर्पित करेंगे। आवेदन प्रपत्र एवं सूचना विभागीय बेवसाइट www.dst.bhi.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
10. आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।
11. निबंधित डाक लिफाफे पर बड़े अक्षरो में "संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र" अंकित रहेगा एवं निम्न पते पर भेजा जाएगा।

सेवा में,

विशेष सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
टेक्नोलॉजी भवन (विश्वेश्वरैया भवन कैम्पस)
बेली रोड, पटना– 800015

(सुशांत झा)
सरकार के विशेष सचिव,

17/06/18

नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक का
अभिप्रमाणित
नवीनतम रंगीन
फोटोग्राफ

1. आवेदित पद का नाम :–
2. आवेदक का नाम :–
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :–
4. स्थायी पता :–
5. पत्राचार का पता :–
6. आवेदक की जन्म तिथि :–
   (जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण–पत्र की
   अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. शैक्षणिक योग्यता :–
8. आरक्षण कोटि :–
   (सक्षम पदा० द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र
   की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
   (आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के
   निवासियों को ही अनुमान्य होगा)
9. सेवानिवृति की तिथि :–
10. सेवानिवृति के समय पदनाम :–
11. कार्यालय का नाम जहाँ से सेवानिवृत हुए है :–
12. सेवानिवृति के समय प्राप्त होने वाले वेतन/
    पे बैण्ड/महंगाई भत्ता की राशि
    (पेंशन स्वीकृत्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)
13. वर्त्तमान में पेंशन की राशि :–
14. मोबाईल संख्या :–

नोट :– आवेदन पत्र टंकित कराकर भेजा जा सकता है।

घोषणा–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनायें मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वारा न तो कोई सूचना छुपाई गई है और न ही अनुचित ढंग से प्रस्तुत की गई है। यदि भविष्य में किसी स्तर पर दी गई जानकारी से किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के ही अस्वीकृत किया जा सकता है एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक का हस्ताक्षर